राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–21/2023

नजमा खातून बनाम् मो0 बदरूद्दीन उर्फ चुनु।

शुद्धि–पत्र

आयोग के आदेश ज्ञापांक–2765, दिनांक–17.06.2025 के विरूद्ध दायर रिट याचिका के सुनवाई के क्रम में आयोग के विद्वान रिटेनर श्री रवि रंजन द्वारा आयोग के संज्ञान में लाया गया कि आदेश के **कंडिका–06 के अंतिम पारा** में (पृष्ठ संख्या–03 के तल भाग एवं पृष्ठ संख्या–04 के प्रथम वाक्य में) टंकण भूलवश **वादी के स्थान पर प्रतिवादी, प्रतिवादी के स्थान पर वादी टंकित** हो जाने के फलस्वरूप उक्त पारा का अर्थ आयोग के आदेश के मूल तत्व के अनुकूल नहीं रह जाता।

उक्त त्रुटि के संज्ञान में लाये जाने पर त्रुटि का निराकरण करते हुये, त्रुटिपूर्ण अंश **''उक्त वर्णित स्थिति में Unimpeachable साक्ष्य के अभाव में तथा ''मेडिकल बोर्ड'' द्वारा निर्धारित आयु प्रतिवादी द्वारा दिये गये, अभिलेखीय साक्ष्य के सन्निकट रहने के कारण वादी का अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव प्रतिवादी को पदमुक्त करने के वादी के अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है।''** को विलोपित किया जाता है। आयोग के उक्त आदेश ज्ञापांक को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

उक्त आदेश ज्ञापांक–2765, दिनांक–17.06.2025 के सभी शेष अंश यथावत समझे जायेगें।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
23.07.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
23.07.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–21/2023......................./ पटना, दिनांक–......................

प्रतिलिपि–सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–21/2023 3181 / पटना, दिनांक– 23.7.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **भागलपुर**/उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भागलपुर** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भागलपुर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

23/7/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–21/2023

नजमा खातून बनाम मो0 बदरूद्दीन उर्फ चुनु।

यह वाद श्रीमती नजमा खातून, पति–श्री शकील अहमद, पता–ग्राम हुसैनपुर नगर निगम, भागलपुर, वार्ड संख्या–40, थाना–मुजाहीदपुर, जिला–भागलपुर, बिहार द्वारा मो0 बदरूद्दीन उर्फ चुनु, पिता–मो0 नैमुद्दीन, पता–ग्राम हुसैनपुर, नगर निगम भागलपुर, वार्ड संख्या–40, थाना–मुजाहीदपुर, जिला–भागलपुर, बिहार के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–40, नगर निगम, भागलपुर के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती नजमा खातून का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभा शंकर मिश्रा द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी मो0 बदरूद्दीन उर्फ चुनु की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता मो0 अनवर करीम द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, भालगपुर द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री सुनील कुमार रंजन, अपर समाहर्त्ता–सह–लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भागलपुर, श्री त्रिलोकी नाथ सिंह तथा श्री विकास कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर, श्री मिथलेश प्रसाद सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, भागलपुर एवं श्रीमती श्वेता कुमारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, भागलपुर को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को 04 संतान है, जिसको उनके द्वारा अपने नामांकन–पत्र में स्वयं अंकित किया गया है, परन्तु उनके द्वारा यह तथ्य छुपाया गया है कि उनके अंतिम संतान मो0 अजीजुद्दीन की जन्मतिथि–01.01.2010 है, जो कि Cut of date-04-04-2008 के उपरांत है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके 04 संतानों का क्रम एवं जन्मतिथि इस प्रकार है– प्रथम संतान मो0 बहाउद्दीन, जन्मतिथि–27.11.2000 द्वितीय संतान मो0 हसनुद्दीन, जन्मतिथि–25.12.2002, तृतीय संतान मो0 सहवाजुद्दीन, जन्मतिथि–01.01.2008 एवं चतुर्थ संतान मो0 अजीजुद्दीन जन्मतिथि–01.01.2010।

अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा अजीजुद्दीन का जन्म प्रमाण–पत्र, मो0 बहाउद्दीन का आधार कार्ड, मो0 हसनुद्दीन का आधार कार्ड, मो0 सहवाजुद्दीन, आधार कार्ड का तथा मो0 अजीजुद्दीन का आधार कार्ड तथा इनमें अंकित जन्मतिथियों का अवलोकन कराया गया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा राशन कार्ड संख्या–10227078004004950045 का अवलोकन कराया गया, जिसमें मो0 बदरूद्दीन के परिवार के सदस्यों का विवरण एवं आयु दर्ज है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में जो अभिलेख समर्पित किये गये है, वे अभिलेख False and Fabricated है, क्योंकि उनके दो संतानों मो0 सहवाजुद्दीन एवं मो0 अजीजुद्दीन के जन्म प्रमाण–पत्र में इनकी जन्मतिथियाँ क्रमशः 27.08.2007 एवं 01.01.2008 दर्शायी गई है, जो कि जैविक रूप से संभव नहीं है कि दो संतानों के बीच 04 माह का अन्तर हो। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि नामांकन के समय में भी इन तथ्यों को रखा गया था, परन्तु निर्वाची पदाधिकारी द्वारा तथ्यों पर ध्यान दिये बिना उनके अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया गया था।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता मो0 अनवर करीम द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के अंतिम संतान के जन्मतिथि के साथ छेड़–छाड़ कर वाद दायर किया गया है, जिसकी जाँच की जानी चाहिए। उनके द्वारा अपने मुवक्किल के अंतिम संतान मो0 अजीजुद्दीन के जन्म प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें जन्मतिथि–24.08.2007 अंकित पायी गयी। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा उनके 02 पुत्रों मो0 सहवाजुद्दीन एवं मो0 अजीजुद्दीन के जन्मतिथि को गलत ढ़ंग से दिखाया गया है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा मो0 अजीजुद्दीन एवं मो0 सहवाजुद्दीन तथा अन्य 02 पुत्रों से संबंधित आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि का अवलोकन आयोग को कराया गया।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–**2469**/निर्वा0, दिनांक–**27.08.2024** तथा पत्रांक–**2586**/निर्वा0 दिनांक–**27.09.2024** द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–

''असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा गठित विशेष चिकित्सा पर्षद, भागलपुर का जाँच प्रतिवेदेन उनके पत्रांक–4921, दिनांक–24.08.2024 से प्राप्त है, जिससे मैं सहमत हूँ।''

Medical Board का Finding निम्नवत् हैः–

''रेडियोलॉजी विभाग एवं डेन्टल विभाग में कराने का निर्णय लिया गया। तदोपरांत रेडियोलॉजी विभाग एवं डेन्टल विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में चिकित्सा पर्षद द्वारा दिनांक–23.08.2024 की बैठक में इनका उम्र 13(तेरह) वर्ष 14(चौदह) वर्ष के बीच आंका गया है।'' (असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर)

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, भागपुर का प्रतिवेदन तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत हैः–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि मो0 बद्रुद्दीन उर्फ चुनु, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–40, नगर निगम, भागलपुर द्वारा दिनांक– 04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–40, नगर निगम, भागलपुर के पद पर निर्वाचित हो गए।"

आयोग द्वारा यह पाया गया कि प्रतिवादी द्वारा नामांकन–पत्र में अपने संतानों की संख्या को नहीं छिपाया गया है। उनके द्वारा अपने अभ्यर्थी बायोडाटा में पुत्रों की संख्या–04 अंकित की है। वादी के दावें के अनुसार उनके अंतिम पुत्र, मो0 अजीजुद्दीन का जन्म Cut of date-04.04.2008 के उपरांत हुआ है। वादी द्वारा अपने दावें के समर्थन में मो0 अजीजुद्दीन के आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि–01.01.2010 को प्रस्तुत किया गया है, जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि माता–पिता के द्वारा ही अंकित किया जाता है तथा आवेदन–पत्र पर उनका हस्ताक्षर भी अंकित रहता है।

प्रतिवादी के सहमति से मामलें को "मेडिकल बोर्ड" के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो **"मेडिकल बोर्ड"** द्वारा वर्ष–2024 में मो0 अजीजुद्दीन की आयु 13 से 14 वर्ष निर्धारित की गयी है। इस प्रकार इनका जन्म वर्ष–2010 या वर्ष–2011 हो सकता है। **"मेडिकल बोर्ड"** द्वारा निर्धारित आयु मो0 अजीजुद्दीन के आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि–01.01.2010 के काफी सन्निकट है। अतः यह वादी के दावें को पुष्ट करता है। अतः **"मेडिकल बोर्ड"** द्वारा निर्धारित आयु वर्तमान वाद में Unimpeachable साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।

रजनी कुमारी वाद के आलोक में भी **"मेडिकल बोर्ड"** द्वारा निर्धारित आयु मान्य है, क्योंकि आयु निर्धारण के संबंध में **"मेडिकल बोर्ड"** एक Scientific Facts Finding Body है।

प्रतिवादी द्वारा दिया गया, आधार कार्ड एवं इसमें अंकित जन्मतिथि इसलिये स्वीकार्य योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें जन्मतिथि का सुधार संभवतः परिवाद के उपरांत कराया गया है। इसी प्रकार जन्म प्रमाण–पत्र की स्वीकार्यता इस कारण से नहीं हो सकती, क्योंकि यह दावा किये जा रहे जन्मतिथि–24.08.2017 के लगभग 10 वर्षों के बाद दिनांक–22.04. 2017 को निर्गत कराया गया है। प्रतिवादी द्वारा इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहे, जो **"मेडिकल बोर्ड"** के Findings को चुनौती दे सकें। आगे यहाँ तक प्रतिवादी द्वारा **"मेडिकल बोर्ड"** के निष्कर्षों का स्वीकार किया है और इसके विरूद्ध उनके द्वारा न तो लिखित न तो मौखिक प्रतिवाद दर्ज कराया गया है।

उक्त वर्णित स्थिति में Unimpeachable साक्ष्य के अभाव में तथा **"मेडिकल बोर्ड"** द्वारा निर्धारित आयु प्रतिवादी द्वारा दिये गये, अभिलेखीय साक्ष्य के सन्निकट रहने के कारण वादी का अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव प्रतिवादी को पदमुक्त करने के वादी के

अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि मो0 बद्रुद्दीन उर्फ चुनु को दिनांक–**04.04.2008** के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करते थे, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–40, नगर निगम, भागलपुर के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रहे। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी मो0 बद्रुद्दीन उर्फ चुनु को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–40, नगर निगम, भागलपुर के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–40, नगर निगम, भागलपुर का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी, भागलपुर को आदेश दिया जाता है कि मो0 बद्रुद्दीन उर्फ चुनु के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–	ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)	(डॉ० दीपक प्रसाद)
17.06.2025	17.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।	राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–21/2023/2765 पटना, दिनांक–17/06/25

प्रतिलिपि–सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/6/25

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–21/2023/2765 पटना, दिनांक–17/06/25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **भागलपुर**/उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भागलपुर** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भागलपुर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

17/6/25

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–21/2023/2765 पटना, दिनांक–17/06/25

प्रतिलिपि– श्रीमती नजमा खातून, पति–श्री शकील अहमद, पता–ग्राम हुसैनपुर, नगर निगम, भागलपुर, वार्ड संख्या–40, थाना– मुजाहीदपुर, जिला–भागलपुर, बिहार एवं मो0 बदरूद्दीन उर्फ चुनु, पिता–मो0 नैमुद्दीन, पता–ग्राम हुसैनपुर, नगर निगम भागलपुर, वार्ड संख्या–40, थाना–मुजाहीदपुर, जिला–भागलपुर, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

17/6/25

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–21/2023/2765 पटना, दिनांक–17/06/25

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर(निर्वाचन शाखा), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/6/25

विशेष कार्य पदाधिकारी